

प्राप्ति,

आमंत्रण

कानपुर राष्ट्रीय कालाम्पुर।

लेखा मे

संचिय

कौशल गांधीजी शिक्षा परिषद

शिक्षा वान्द-2 समुदाय केंद्र प्रीति विहार

नई दिल्ली।

पत्रांक सीठ / २०५३६२ / प्रभ०ओ०सी० / २०१८-१९

दिनांक २७-०६-२०१८

विषय—एम०डी०एम० पब्लिक स्कूल, छतमरा, कानपुर नगर को सी०वी०एस०ड० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

नामांक्य,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या १९१६ / १५-७-०९-०१(२९९) / २००७ दिनांक १४-०७-२००९ ह्वारा गठित मण्डलीय समिति की बेठक दिनांक २७-०६-२०१८ ने लिए गये निर्णयानुसार एम०डी०एम० पब्लिक स्कूल, छतमरा, कानपुर नगर को सी०वी०एस०ड० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः—

१. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
२. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ०प्र० ह्वारा नामित एक भद्रस्य होगा।
३. विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति के गेहावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद ह्वारा संबलित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
४. संख्या ह्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि भूदं में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सोन्हर थोड़ ऑफ रोकेंट्री एजूकेशन, नई दिल्ली/याउनिसिल फार दि इन्डियन स्कूल सार्टेफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतं समाप्त हो जायेगा।
५. सख्ति के शिक्षण एवं शिक्षणात्मक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण सरथाओं के कर्मचारियों को अनुग्राम वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ता नहीं दिये जायेगे।
६. कर्मचारियों को सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चातर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सवानवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
७. राज्य सरकार ह्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका पालन करेगी।
८. विद्यालय का रिकाउ निधारस्त प्रपत्र पाजिकाओं में रखा जायेगा।

M. D. M. Public School  
Chhatmara, Kanpur (U.P.)

बुरुज लाल  
MANAGER  
M.D.M. PUBLIC SCHOOL  
CHHATMARA, KANPUR

9. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णनुगमन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्तन नहीं किया जायगा।

उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन प्रत्येक सचिव के लिए अनिवार्य होगा और उक्त प्रतिबन्धों को संसाधनी के बायलीज में समाप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि सख्त द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक या शिथिलता वर्ती जाती है, साथ ही यदि कोई तथ्य छिपा हुआ पाया जाता है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पर्त वापस ले लिया जायेगा।

संवीकृत  
५२२/०६/१८  
(सुमात्र चन्द शर्मा)

आयुक्त  
कानपुर मण्डल, कानपुर

५०३०३००/ २०५५-६२ / 2018-19

तारीख

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, (गांधीजिक शिक्षा) उ०प्र० शासन शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. शिक्षा निदेशक(गा०) उ०प्र० शिविर कार्यालय 18 पार्क राड लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
5. निरीक्षक अंगूल मारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. प्रबन्धक / सचिव, एम०डी०एम० पश्चिम स्कूल, छतमरा, कानपुर नगर।
7. मार्ड फाइल।

522-६१४  
(के०के० शुभा)  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
कानपुर मण्डल, कानपुर

व्युत्पत्ति  
MANAGER  
M. D. M. PUBLIC SCHOOL  
CHHATMARA, KANPUR

*tripathi*  
P. S. P.  
M. D. M. Public School  
Chhatmara, Kanpur (U.P.)